

डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 17/2023-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कन्नूर (सीएनएन) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2023 से 31.03.2028) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 16 नवम्बर, 2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दिसम्बर, 2018 में अपने वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किए और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 1.59 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष (एमपीपीए) की वास्तविक यात्री श्रृंखला दर्ज की, जो कि ऐरा (संशोधन) अधिनियम, 2019 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निर्धारित 3.5 एमपीपीए की निश्चित सीमा से कम थी। परंतु 9.34 एमपीपीए की हवाईअड्डे की निर्दिष्ट क्षमता और 96.143 वर्गमीटर वाले निर्मित टर्मिनल क्षेत्र के आधार पर ऐरा ने दिनांक 16 मार्च, 2020 की सार्वजनिक सूचना संख्या 17/2019-20 में संशोधन द्वारा कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 'प्रमुख हवाईअड्डा' घोषित किया।

कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर वित्त वर्ष 2020-21 (महामारी वाला वर्ष होने के कारण) में लगभग 0.48 एमपीपीए यात्रियों का आवागमन हुआ। कोविड-19 महामारी के बाद वित्त वर्ष 2021-22 में हवाईअड्डे पर यात्री यातायात में धीमी गति से बढ़ोतरी हुई और वित्त वर्ष 2022-23 में यहां से वास्तव में 1.25 एमपीपीए यात्रियों का आवागमन हुआ।

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने हवाई यातायात के संबंध में वर्तमान में उपलब्ध समस्त जानकारी, हवाईअड्डा प्रचालकों, आईएटीए, एसीआई जैसे उद्योग निकायों और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के मत को ध्यान में रखकर तथा विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने के बाद कारोबार संबंधी मौजूदा परिदृश्य के संभावित परिवर्तनों और अनिश्चितताओं के कारण यातायात एवं अन्य विनियामक बिलडिंग ब्लॉकों में आवश्यक समायोजन की समीक्षा की है।

प्राधिकरण ने कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2023) के प्रथम चार टैरिफ वर्षों के लिए प्रस्तुत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों और अंतिम टैरिफ वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23 के गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को मान लिया है। प्राधिकरण हवाईअड्डा प्रचालक को यह निदेश देता है कि वह वित्त वर्ष 2022-23 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे।

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र i) भारत सरकार के वाणिज्यिक उड़ानों को पुनः शुरू करने और यात्री/एटीएम यातायात को बढ़ाने के निर्णय की पृष्ठभूमि में और ii) हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) का विश्लेषण और अवलोकन करने के बाद अपने प्रस्ताव पेश करके यह परामर्श पत्र जारी किया है।

प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

अतः ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के परामर्श पत्र संख्या 17/2023-24 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)

ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली-110003, भारत

ई-मेल : director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in, प्रति secretary@aera.gov.in,

हितधारकों की परामर्श बैठक :	01 दिसम्बर, 2023
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :	15 दिसम्बर, 2023
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :	26 दिसम्बर, 2023

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या 011-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

15 प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

अध्याय 4 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए केआईए का टूअप

- 4.13.1 तालिका 14 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यहास के टू-अप को मानना।
- 4.13.2 तालिका 15 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी के टू-अप को मानना।
- 4.13.3 पैरा 4.7.1 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एफआरओआर के टू-अप को मानना।
- 4.13.4 तालिका 17 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।
- 4.13.5 तालिका 31 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।
- 4.13.6 तालिका 32 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।
- 4.13.7 तालिका 35 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कराधान के टू-अप को मानना।
- 4.13.7 तालिका 36 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए केआईए के टू-अप के लिए एआरआर और कम वसूली को मानना तथा इस कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर में पुनः समायोजित करना।

अध्याय 5: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात पूर्वानुमान

- 5.3.1 केआईए के लिए तालिका 41 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यात्री यातायात, एटीएम और कार्गो यातायात को मानना।
- 5.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, एटीएम और कार्गो) को टूअप करना।

अध्याय 6: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए केआईए के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यहास और विनियामक परिसंपत्ति आधार

- 6.5.1 परिसंपत्ति आबटन अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिश, आईएमजी मानदंडों के अनुरूप और अन्य समान हवाई अड्डों के लिए ऐरा द्वारा अनुमोदित किए अनुसार टर्मिनल भवन अनुपात 92:8 को मानना।
- 6.5.2 तालिका 45 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।
- 6.5.3 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूँजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूँजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।
- 6.5.4 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत कार्यक्षमता और औचित्य के आधार पर वैमानिक व्यय को टू-अप करना।
- 6.6.5 तालिका 47 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यहास को मानना।
- 6.6.6 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के मूल्यहास को टू-अप करना।
- 6.6.7 केआईए के लिए तालिका 49 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।
- 6.6.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 7 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

- 7.3.1 सीएपीएम सूत्र के अनुसार 15.18 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।
- 7.3.2 अन्य सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले हवाई अड्डों के मामले में माने जा रहे ईक्विटी के मूल्य पर ऋण के लक्षित अनुपात के अनुरूप 48%:52% के ईक्विटी (प्राप्ति) अनुपात के कल्पित ऋण को मानना।
- 7.3.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 9 % की ऋण की लागत को मानना।
- 7.3.4 ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और लक्षित अनुपात के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% के एफआरओआर को मानना।

अध्याय 8 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

8.3.1 कन्नूर हवाईअड्डे के लिए तालिका 54 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 9: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) खर्च

9.3.1 तालिका 68 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 10: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

10.3.1 केआईए के लिए तालिका 73 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

अध्याय 11 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.3.1 केआईए, कन्नूर के लिए तालिका 75 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

11.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर वैमानिक कर राशि को उपयुक्त ढंग से टूट-अप करना।

अध्याय 12: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.3.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न मानना।

अध्याय 13 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए भूमि पर प्रतिलाभ

13.3.1 प्राधिकरण तालिका 77 के अनुसार भूमि पर प्रतिलाभ को मानने का प्रस्ताव करता है।

अध्याय 14 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

14.3.1 केआईए, कन्नूर के लिए तालिका 79 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना।

14.3.2 हवाईअड्डा प्रचालक को यह निदेश देना कि वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) यह परामर्श पत्र जारी होने के सात (7) दिन के भीतर प्रस्तुत करें, इसकी समीक्षा की जाएगी और इसे हितधारकों के परामर्श के लिए परिचालित किया जाएगा।

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

- 16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15-प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।
- 16.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।
- 16.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 15 दिसम्बर, 2023 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)



